न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 64/2020 दायर दिनाँक 27.02.2020

वादी

1. रूघाराम पुत्र नारायणराम
2. बिरमाराम पुत्र नारायणराम

समस्त जाति जाट
निवासीगण रिक्शाबास,
तहसील डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र किशनाराम
2. गोरधनराम पुत्र जवानाराम
3. किशनाराम पुत्र सुण्डाराम
4. हडमानराम पुत्र सुण्डाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रिक्शाबास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
5. शाखा प्रबन्धक जयपुर नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा धनकोली
6. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, (राज)।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थारी वकील वादीगणं
2. श्री हरफुलराव वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 04

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **12.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि खेत खसरा सं0 862 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम डाकीपुरा, पटवार हल्का डाकीपुरा की भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 22.03.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 1263 दिनाँक 29.06.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1263 दिनाँक 29.06.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री जारिर किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि खेत खसरा सं0 862 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम डाकीपुरा, पटवार हल्का डाकीपुरा की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1263 दिनाँक 29.06.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1263 दिनाँक 29.06.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **12.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 64/2020 दायर दिनाँक 27.02.2020

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. रूघाराम पुत्र नारायणराम 2. बिरमाराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासीगण रिक्शाबास, तहसील डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. मोहनराम पुत्र किशनाराम 2. गोरधनराम पुत्र जवानाराम 3. किशनाराम पुत्र सुण्डाराम 4. हडमानराम पुत्र सुण्डाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रिक्शाबास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 5. शाखा प्रबन्धक जयपुर नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा धनकोली 6. तहसीलदार डीडवाना जिला—नागौर, (राज)।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53 R.T.Act.

दिनाँक 12.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थारी वकील वादीगण व श्री हरफुलराव वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 04 प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि खेत खसरा सं0 862 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम डाकीपुरा, पटवार हल्का डाकीपुरा की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1263 दिनाँक 29.06.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1263 दिनाँक 29.06.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—...................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.07.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:58 IST
Reason: SelfAttested

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner